अनिवार्य/समयबद्ध

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ।

विकास भवन, कलेक्ट्रेट, मेरठ E-Mail Id-meerutsamajkalyan@gmail.com दूरभाष न0- 121-4000442

पत्रांक C-25 /स0क0/छात्रवृत्ति/2025-26 दिनांक 04 अप्रैल 2025

कुल सचिव/रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
समस्त राजकीय व अनुदानित, निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान/विद्यालय/कालेज/इण्टर कालेज आदि
जनपद मेरठ।

विषय- **वित्तीय/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति(शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्कप्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु जारी समय सारिणी के तृतीय चरण के क्रम कार्यवाही किये जाने विषयक।**

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 85/2024/1831/26-3-2024/सी.एन.-1513982 समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 28 जून 2024 के द्वारा वित्तीय/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं(कक्षा 11-12 व उच्च कक्षा) में अध्ययनरत् उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति(शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्कप्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित जारी समय सारिणी के तृतीय चरण में निम्नवत् कार्यवाही अपेक्षित है-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	**छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना**	**31 मार्च 2025 तक**
2	**छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन फाइनल सब्मिशन किया जाना**	**03 अप्रैल 2025 कर**
3	**आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना**	**08 अप्रैल 2025 तक**
4	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** (छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरऑण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जानाएवं आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित व अग्रसारित करना)	**16 अप्रैल 2025 तक**
5	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठयक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** (विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना)	**30 अप्रैल 2025 तक**
6	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना**	**16 अप्रैल 2025 तक**
7	**एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी** (PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदायी लॉगिन पर व छात्र के आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना।)	**17 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक**
8	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** (छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना)	**29 अप्रैल 2025 से 06 मई 2025 तक**
9	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को विद्यालय में जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहति शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों के आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	**29 अप्रैल 2025 से 13 मई 2025 तक**
10	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना	**10 जून 2025 तक**

अतः जनपद मेरठ में संचालित समस्त राजकीय व अनुदानित, निजी क्षेत्र के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों को निर्देशित/अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त समय सारिणी के तृतीय चरण की निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति नियमावली के शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों पर व अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

04/04/2025
(सुनील कुमार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठांकन सं0 तद दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत सादर प्रेषित।

1-निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-जिलाधिकारी मेरठ।

3-मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।

4-संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5-जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ।

6-समस्त विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी, जनपद मेरठ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner